आवंटन समान मानदण्डों के आधार पर किया जाता है और राज्य सरकार से प्राप्त मांग/अनुरोध के आधार पर नहीं किया जाता है

मध्य प्रदेश में पंजीकृत बीड़ी मजदूर

2798. **श्री अजीत जोगी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में विधिवत पंजीकृत बीड़ी मजदूरों की संख्या कितनी है और क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बीड़ी मालिकों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में बीड़ी मजदूरों को पंजीकृत नहीं किया जाता है ;

(ख) ऐसी स्थिति में जब कि बीड़ी मजदूर मालिकों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में बीड़ी मजदूरों का पंजीकरण न करके उन्हें उनके उचित लाभों से वंचित किया जा रहा है तो केन्द्रीय सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ;

(ग) बीड़ी मजदूरों का इस प्रकार शोषण किये जाने को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कोई नये कदम उठाये जा रहे हैं ;

(घ) क्या मध्य प्रदेश में बीड़ी मजदूरों तथा उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश को कोई राशि आवंटित की गई है ;

(ङ) क्या सरकार बीड़ी मजदूर मालिकों द्वारा मजदूरों की हालत सुधारने के लिए और उनका शोषण रोकने के लिए कोई राशि अनिवार्यतः व्यय किये जाने हेतु कोई कानून बनाने पर भी विचार कर रही है ; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री बिंदेश्वरी दुबे) : (क) से (ग) बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्त) अधिनियम, 1966 में उन प्रतिष्ठानों को लाइसेंस देने की व्यवस्था है जहां बीड़िया तैयार की जाती है तथा इस प्रकार कर्मकारों के रोजगार की शर्तों को विनियमित करने की व्यवस्था है । इस अधिनियम में विनिर्माताओं या ट्रेड मार्क धारकों के लिए बीड़ी लपेटने के लिए घरेलू कर्मकारों की शर्तों के विनियमन की भी व्यवस्था है । इस अधिनियम का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है । बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्त) अधिनियम, 1966 के उपबंधों को कारगर रूप से कार्यान्वित करने में कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा सामना की जा रही कुछ प्रशासनिक तथा व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से, अधिनियम मे कतिपय संशोधन करने हेतु 3-12-87 को राज्य सभा में एक विधेयक पेश किया गया था । अन्य अधिनियम, अर्थात बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 और बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 को केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू किया जाता है । बीड़ी कर्मकारों का पता लगाना आवश्यक है ताकि कल्याण निधि से उन्हें कल्याण सुविधाएं प्रदान की जा सके । बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि नियमावली, 1978 के नियम 41 में यह व्यवस्था है कि बीड़ी के निर्माण में लगा प्रतिष्ठान, कारखाना या ठेकेदार प्रत्येक कर्मचारी को पहचानपत्र जारी करेगा । नियोजक पहचान पत्रों को जारी करने में सामान्यतः अनिच्छुक पाये गये हैं । अतः विगत में श्रम कल्याण संगठन के अधिकारियों को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया गया है जो पहचानपत्र जारी करने के लिए उक्त अधिनियम को लागू करते हैं । बीड़ी कर्मकारों को कल्याण सुविधाएं प्रदान करने हेतु कतिपय स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए पहचानपत्रों को स्वीकार करने के लिए अनुदेश भी जारी किए गए हैं । मध्य प्रदेश में बीड़ी कर्मकारों की अनुमानित संख्या लगभग 5.78 लाख है । उनमें से 5.65 लाख कर्मकारों को पहचानपत्र जारी किए गए हैं । बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम में हाल ही में संशोधित किया गया है ताकि पहचानपत्रों को जारी करने के बारे में

नियमों के उल्लंघन के लिए 2000/-रु० तक के जुर्माने की व्यवस्था है।

(घ) से (च) मध्य प्रदेश में बीड़ी कर्मकारों को चिकित्सा, आवास, शैक्षिक, मनोरंजन और परिवार कल्याण सुविधाएं प्रदान करने के लिए वर्ष 1987-88 में 53.02 लाख रुपये की राशि खर्च की गई थी। वर्ष 1988-89 के लिए, इस प्रयोजनार्थ 84.87 लाख रु० की व्यवस्था की गई है। राज्य के बजट को राज्य सलाहकार समिति के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाता है जिसे अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार गठित किया गया है जिसके अध्यक्ष श्रम राज्य मंत्री हैं। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बीड़ी और सिगार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 के उपबंधों के तेज प्रवर्तन द्वारा मजदूरी की अदायगी आदि के मामले में कर्मकारों के शोषण को कम किया जा सकता है।

AIR Broadcast Service for USA and Canada

2799. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large Indian community lives in USA and Canada;

(b) whether Government propose to start AIR Broadcast service to these two countries; and

(c) if so, by when and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI H. K. L. BHAGAT): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Owing to limited hardware capabilities and the imperative need to make optimum utilisation of the existing transmitters for services which are accorded higher priority, there is no proposal to start All India Radio Broadcast Service to these two countries. However, All India Radio is sending canned programmes to the ethnic stations and some broadcasting organisations of USA and Canada, especially for the benefit of the Indian community there.

Entry of Foreign Soft Drink Manufacturers

2800. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether any foreign soft drink making Companies have sought permission of Government to enter Indian market in collaboration with Indian companies;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the Government's response thereon?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise in view of (a) above.

Produce-linked loan Scheme

2801. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what are the details of the new produce-linked loan scheme formulated by Government; and

(b) the district in Uttar Pradesh where it is likely to be launched?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHYAM LAL YADAV): (a) Details of the Produce (Marketing)